सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 23/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 01–05–2017
निर्णय दिनांक – 26–12–2017

श्री अम्बालाल पुत्र मुतबन्ना भूरालाल जी जाट, निवासी माली खेड़ा तहसील, रेलमगरा जिला राजसमंद (राज.)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती गुलाबी बेवा भूरा जी जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)
2. तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–

1– श्री सम्पतलाल बोहरा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री राजमल राव – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद दिनांक 22.02.2017 प्रकरण संख्या 30/2016.

निर्णय

दिनांक 26.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद के निर्णय दिनांक 22.02.2017 प्रकरण संख्या 30/2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्रम माली खेड़ा पटवार हल्का राजपुरा का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 16.10.1994 श्री भूरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाट के स्वर्गवास दिनांक 28.03.1994 को हो जाने पश्चात कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से भूरा जी जाट की पत्नी रेस्पों.संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध गोदपुत्र श्री अम्बालाल पिता भूरालाल जी ने प्रथम अपील न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद के न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा गोदनामा सम्बन्धी कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 22.02.2017 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.12.2017 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विपरित होकर कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। अपीलान्ट को जाति रीतिरिवाज अनुसार भूरालाल जी व गुलाबी के गोद रखा था तथा गोद अपीलान्ट के नेचुरल माता–पिता ने रखा था गीविंग एण्ड टेकिंग की सिरेमनी पूरी की गयी थी तथा तब से आज दिन तक अपीलान्ट नेचुरल लड़के की तरह ही रह रहा है तथा लडके के सारे दायित्वों को निर्वहन कर रहा है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा वोटर आई डी कार्ड की फोटो प्रति पेश की जिसमें पिता के नाम पर श्री भूरालाल जाट अंकित किया हुआ है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजर अन्दाज करते हुए जो आदेश पारित किया वह बिल्कूल गलत होकर काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 16.10.1994 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट एवं उसकी माता गुलाबी (रेस्पों.संख्या 1) के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों.संख्या–1 ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट गोद पुत्र है तथा गोदपुत्र का नाम रेस्पों.संख्या 1 के नाम के साथ अंकन किये जाने में रेस्पों.को कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। राजस्व ग्रम माली खेड़ा पटवार हल्का राजपुरा का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 16.10.1994 श्री भूरा जाट के स्वर्गवास दिनांक 28.03.1994 को हो जाने पश्चात कोई जायन्दा औलाद नहीं होने से भूरा जी जाट की पत्नी रेस्पों.संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलान्ट को जाति रीतिरिवाज अनुसार भूरालाल जी व गुलाबी के गोद रखा था तथा गोद अपीलान्ट के नेचुरल माता–पिता ने रखा था गीविंग एण्ड टेकिंग की सिरेमनी पूरी की गयी थी तथा तब से आज दिन तक अपीलान्ट नेचुरल लड़के की तरह ही रह रहा है तथा लडके के सारे दायित्वों को निर्वहन कर रहा है। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं रेस्पों. ने बहस के दौरान अपने कथन में की गई है तथा गोद पुत्र का नाम रेस्पों. संख्या 1 के साथ अंकन किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट को श्री भूरालाल जाट द्वारा गोद लिये जाने सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाण हेतु आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं वोटर आई.डी. कार्ड की फोटो प्रति पेश किया जाना भी अभिलेख से स्पष्ट है। प्रस्तुत दस्तावेज में पिता के नाम पर श्री भूरालाल जाट अंकित किया हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 16.10.1994 को अपास्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 16.10.1994 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पों. संख्या 1 के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर